उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995

(1996 का अधिनियम संख्यांक 2)

[1 जनवरी, 1996]

उत्तर प्रदेश राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- **1. संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 है।
- 2. परिभाषा—इस अधिनियम में, "उद्घोषणा" से वह उद्घोषणा अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 18 अक्तूबर, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा की गई थी और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की उक्त तारीख की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 685(अ) के साथ प्रकाशित की गई थी।
- 3. राज्य विधान-मंडल की विधियां बनाने की शक्ति का राष्ट्रपति को प्रदान किया जाना—(1) उत्तर प्रदेश राज्य के विधान-मंडल की विधियां बनाने की शक्ति, जिसे संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उद्घोषणा द्वारा प्रयोक्तव्य घोषित किया है, राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है।
- (2) उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, समय-समय पर, चाहे संसद् सत्र में हो या नहीं, राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में ऐसा विधेयक अधिनियमित कर सकेगा जिसमें ऐसे उपबंध अन्तर्विष्ट होंगे, जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु किसी ऐसे अधिनियम को अधिनियमित करने के पूर्व राष्ट्रपति, जब कभी वह ऐसा करना साध्य समझे, इस प्रयोजन के लिए गठित समिति से परामर्श करेगा, जिसमें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित लोक सभा के बीस सदस्य और सभापति द्वारा नामनिर्देशित राज्य सभा के दस सदस्य होंगे।

- (3) राष्ट्रपति द्वारा उपधारा (2) के अधीन अधिनियमित प्रत्येक अधिनियम, अधिनियमित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
- (4) संसद् का कोई सदन, उस तारीख से, जिसको अधिनियम उपधारा (3) के अधीन उसके समक्ष रखा जाता है, तीस दिन के भीतर, यह अविध एक सत्र में अथवा दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, पारित संकल्प द्वारा, अधिनियम में कोई परिवर्तन किए जाने के लिए निदेश दे सकेगा और यदि संसद् का दूसरा सदन उस सत्र के दौरान, जिसमें वह अधिनियम उसके समक्ष इस प्रकार रखा गया है या उत्तरवर्ती सत्र के दौरान परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाता है तो ऐसे परिवर्तनों को राष्ट्रपति द्वारा उपधारा (2) के अधीन संशोधन अधिनियम का अधिनियमन करके प्रभावी किया जाएगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात अधिनियम की, या उसके इस प्रकार संशोधित किए जाने के पूर्व उसके अधीन की गई किसी कार्रवाई की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी ।